न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 45 / 2022

दायर दिनांक–28.03.2022

1. अजय सिंह पुत्र नोपाराम जाति गुर्जर निवासी टौंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादी

बनाम

1. कुरड़ाराम पुत्र सुरजाराम
2. भगवाना पुत्र सुरजाराम
3. मूंगाराम पुत्र सुरजाराम
4. रामलाल पुत्र सुरजाराम
5. हणमान पुत्र परसा
6. झाबरमल पुत्र परसा
7. बुजा राम पुत्र चिमना (फौत)
   7/1 बूजाराम पुत्र चिमना (फौत)
   7/1/1 सांवतराम पुत्र बूजाराम (फौत)
   7/1/2 महलाराम पुत्र स्व0 सांवतराम निवासी टौंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
8. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन कुमार चाहर
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणा
व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–28.07.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम टौंकछिलरी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1156, 1161, 1166, 1173, 1175, 1192, 1193, 1202, 1298/1155, 1299/1163, 1304/1200 रकबा क्रमशः 0.0100, 0.1300, 0.5800, 0.0600, 0.0400, 0.5900, 2.1200, 0.2900, 0.0600, 0.1100, 0.4000 कुल किता 12 कुल रकबा 4.6400 है0 स्थित है। उक्त भूमि सैटलमेंट के समय से वादी के दादा मंगलाराम के कब्जे काश्त में रही है। मंगलाराम के फौत होने पर वादी के पिता नोपाराम के कब्जे काश्त की रही है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में प्रतिवादी संख्या 7 के 1/4 हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त हिस्से के अनुसार ही वादी का कब्जा काश्त है वादी ने अपने हिस्से पर मकान बना रखे है तथा 30 वर्षो से अपने 1/4 हिस्से का काश्त करता आ रहा तथा वर्तमान में काबिज काश्त है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के हिस्से बाबत कोई उज्र नही है। प्रतिवादी संख्या 7 ने अपनी बही में लिखापढी करके सन् 1990 में अपना हिस्सा 1/4 वादी को विक्रय कर दिया था इसलिए प्रतिवादी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा दुरूस्त किया जाकर वादी को उसके 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी [illegible] राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 7 के वारिसों को कोई [illegible] है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने हेतु [illegible] की सहमति है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 7 बूजा राम पुत्र चिमना का नाम हटाया जाकर वादी को उसके 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज र[illegible]र किया गया तथा तलबी [illegible] जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 7/1/2 की ओर से वकील श्री मिनाक्षी सिंह ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:20:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7/1/2 की ओर से इकबालिया जबाब पेश करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादी अजय सिंह का चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2075–78, पहचान पत्र सांवताराम, बिजली बिल, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत टौंकछिलरी लिखावट आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। वकील प्रतिवादी ने वाद पत्र अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमति दी। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम टौंकछिलरी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1156, 1161, 1166, 1173, 1175, 1192, 1193, 1202, 1298/1155, 1299/1163, 1304/1200 रकबा क्रमशः 0.0100, 0.1300, 0.5800, 0.0600, 0.0400, 0.5900, 2.1200, 0.2900, 0.0600, 0.1100, 0.4000 कुल किता 12 कुल रकबा 4.6400 है0 भूमि स्थित होना प्रमाणित है। वादी की ओर से उक्त भूमि के खातेदार बुजा पुत्र चिमना के 1/4 हिस्से का नाम हजफ किया जाकर उसके 1/4 हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। बुजा पुत्र चिमना का विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 7/1/2 है जिसकी ओर से इकबालिया जबाब पेश बुजा पुत्र चिमना के हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने पर सहमति दी गई है। ऐसी स्थिति में जहां प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार कर लिया है एवं दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नही रहा है, वहां न्यायालय को राजस्व हानि/कर चोरी का पक्ष देखना आवश्यक है। वादी द्वारा अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं कब्जा काश्त अनुसार पूर्णतया साबित पाया गया है। न्यायालय राय में उक्त प्रकरण कर अपवंचन का प्रतीत होता है अतः वाद वादी राजस्व हानि के दृष्टि से सशर्त वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम टौंकछिलरी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1156, 1161, 1166, 1173, 1175, 1192, 1193, 1202, 1298/1155, 1299/1163, 1304/1200 रकबा क्रमशः 0.0100, 0.1300, 0.5800, 0.0600, 0.0400, 0.5900, 2.1200, 0.2900, 0.0600, 0.1100, 0.4000 कुल किता 12 कुल रकबा 4.6400 है0 भूमि में बुजा पुत्र चिमना का नाम हजफ किया जाकर उसके 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 28.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए.सी.एम. (फा. ट्रै.) नवलगढ़

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:20:43 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

<u>दावा बाबत</u> : <u>घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती</u>

मुकदमा सं0:–45/2022 **(अजय सिंह बनाम कुरडाराम आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.07.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम टौंकछिलरी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1156, 1161, 1166, 1173, 1175, 1192, 1193, 1202, 1298/1155, 1299/1163, 1304/1200 रकबा क्रमशः 0.0100, 0.1300, 0.5800, 0.0600, 0.0400, 0.5900, 2.1200, 0.2900, 0.0600, 0.1100, 0.4000 कुल किता 12 कुल रकबा 4.6400 है0 भूमि में बुजा पुत्र चिमना का नाम हजफ किया जाकर उसके 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.07.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

(मुहर: ए. सी. (फा. ट्रे.) नवलगढ)

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:20:43 IST
Reason: SelfAttested